न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 09/2025

बउनवान

रामस्वरूप सहरिया उम्र 47 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र सहरिया जाति सहरिया निवासी ग्राम कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) पोस कोड 8622 प्राधिकार पत्र संख्या 324/2005 उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो०नं० 7742688586 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.05.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां प्रकरण संख्या 05/2024 अन्तर्गत 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.02.2025

1. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश अधीनस्थ कार्यालय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन न करके भारी भूल की है। दिनांक 04.01.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक अटरू ने अपीलान्ट की दुकान ग्राम कवाई का निरीक्षण करने पर जो जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बारां को दिनांक 11.01.2024 को सौंपी तथा उस पर जो पत्रावली एवं उस पर जो नोटिस जारी किया गया वह नोटिस ही अवैध था। क्योंकि जिला रसद अधिकारी ने ग्राम पंचायत कवाई के बजाए ग्राम रामपुर ग्राम पंचायत आगर तहसील शाहबाद की जांच रिपोर्ट लगा दी, तथा जो रिपोर्ट ग्राम पंचायत कवाई की आयी थी, वह इस पत्रावली में लगाई ही नही है। इस कारण जब जो पत्रावली चली उसका नोटिस अपीलान्ट को जारी ही नहीं किया और अपीलान्ट उपस्थित ही नही हुआ तो अपीलान्ट के खिलाफ जो लाईसेंस निरस्तीकरण का आदेश है वह सर्वथा गलत जारी किया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 04.01.2024 को लगाई गई है वह सब गलत है। उसमें जो आरोप लगाये गये थे वह सब गलत है तथा बिना तथ्यात्मक रिपोर्ट के प्रकरण तैयार करके जिला रसद अधिकारी बारां को भेज दिया एवं अपीलान्ट को कोई सुनवायी का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट ग्राम पंचायत कवाई का लाईसेंसी है तथा नियम पूर्वक ग्राहकों को उपभोक्ता की वस्तुयें वितरण करता रहता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नही की गई। जबकि पत्रावली ग्राम रामपुर ग्राम पंचायत आगर तहसील शाहबाद की रेस्पोडेन्ट ने चलाई है और इसकी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवायी का कोई समय नही दिया तथा धारा 8 (2) में यह स्पष्ट आदेश है कि आदेश के अधीन रद्धकरण का कोई भी आदेश जब तक नही किया जायेगा, जब तक कि प्राधिकार धारक को प्रस्तावित रद्धकरण के विरूद्ध अपना पक्ष, कथन रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जावें तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया तथा इस पत्रावली में अपीलान्ट का लाईसेंस कभी भी निलम्बित नही किया और ना ही किसी को अटेचमेन्ट दिया गया। जबकि दिनांक 22.02.2024 को श्रीमती फूला मीणा ग्राम पंचायत कवाई को अटेचमेन्ट देना बताया है, जबकि पत्रावली में दिनांक 22.02.2024 की कोई ऑर्डर शीट ही नही है, फिर फूला मीणा को अटेचमेन्ट कैसे दिया यह भी एक सोचने का प्रश्न है। अपीलान्ट के खिलाफ पूर्व में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कोई अनियमितता की हो तथा वर्तमान में भी उसका समस्त स्टॉक बिल्कुल सही है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 16.05.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का लाईसेंस बहाल किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.01.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक अटरू ने अपीलान्ट की दुकान ग्राम कवाई का निरीक्षण करने पर जो जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बारां को दिनांक 11.01.2024 को सौंपी तथा उस पर जो पत्रावली एवं उस पर जो नोटिस जारी किया गया वह नोटिस ही अवैध था। क्योंकि जिला रसद अधिकारी ने ग्राम पंचायत कवाई के बजाए ग्राम रामपुर ग्राम पंचायत आगर तहसील शाहबाद की जांच रिपोर्ट लगा दी, तथा जो रिपोर्ट ग्राम पंचायत कवाई की आयी थी, वह इस पत्रावली में लगाई ही नही है। इस कारण जब जो पत्रावली चली उसका नोटिस अपीलान्ट को जारी ही नहीं किया और अपीलान्ट उपस्थित ही नही हुआ तो अपीलान्ट के खिलाफ जो लाईसेंस निरस्तीकरण का आदेश है वह सर्वथा गलत जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवायी का कोई समय नही दिया तथा धारा 8 (2) में यह स्पष्ट आदेश है कि आदेश के अधीन रद्धकरण का कोई भी आदेश जब तक नही किया जायेगा, जब तक कि प्राधिकार धारक को प्रस्तावित रद्धकरण के विरूद्ध अपना पक्ष, कथन रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जावें तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया तथा इस पत्रावली में अपीलान्ट का लाईसेंस कभी भी निलम्बित नही किया और ना ही किसी को अटेचमेन्ट दिया गया। दिनांक 22.02.2024 को श्रीमती फूला मीणा ग्राम पंचायत कवाई को अटेचमेन्ट देना बताया है, जबकि पत्रावली में दिनांक 22.02.2024 की कोई ऑर्डर शीट ही नही है, फिर फूला मीणा को अटेचमेन्ट कैसे दिया। वर्तमान में भी उसका समस्त स्टॉक बिल्कुल सही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 16.05.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का लाईसेंस बहाल किया जावें।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इससे अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसे सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जबकि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:13 IST
Reason: SelfAttested